"ग्राम – उमरादाह"

प्ररूप – तीन

सामाजिक समाघात निर्धारित प्रतिवेदन

(नियम 23 देखिए)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण :–

(क) कुल जनसंख्या (एक) पुरूष **70** (दो) महिला – **75**

(ख) बच्चों की संख्या (एक) पुरूष – **19** (दो) महिला – **26**

(ग) जातिवार जनसंख्या (एक) अ.ज.जा. – **145** (दो) ज.जा. – (तीन) अ.पि.व.–
(चार) अन्य –

(घ) धर्मवार जनसंख्या (एक) हिन्दू – **145** (दो) मुस्लिम – (तीन) सिक्ख –
(चार) ईसाई – (पांच) बौद्ध – (छः) अन्य –

2. गरीबी रेख के नीचे की परिवारों की संख्या – **28**
3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या –
4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या – **04**
5. निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या –
6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन –
7. प्रशासनिक संगठन –
8. राजनीतिक संगठन –
9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य
10. भूमि का उपयोग – (एक) कृषि भूमि – **71.034 (हेक्टयर)**
(दो) पड़त भूमि – **9.597 (हेक्टयर)**
(तीन) सिंचित एक फसली भूमि –
(चार) सिंचित दुफसली भूमि –
(पांच) असिंचित भूमि – **71.034 (हेक्टयर)**
11. जोत का आकार – (एक) लघु कृषकों की संख्या – **03**
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या – **14**
(तीन) कुल खातों की संख्या – **19**
(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या –
(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये) – **8**
12. पशुधन – (एक) पशुधन की संख्या – **102**
(दो) दुधारू पशुधन की संख्या – **4**
13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार – **मनरेगा**
14. पलायन – **निरंक**
15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी – **23**

धारा 5 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

16. खाद्य सुरक्षा – **01**

17. अन्य स्थानीय रोजगार – **मनरेगा**

18. मजदूरी दर – 221.00

19. ऋण तक पहुँच –

20. परिवहन एवं सड़क – **निर्माणाधीन**

21. सिंचाई –

22. बाजार तक पहुँच – **निकटतम पंचायत होनहेड़ (05.00 कि.मी.)**

23. पर्यटन स्थल –

24. सहकारी संस्थाएँ – **सहकारी बैंक केशकाल**

25. रहन – सहन –

(एक) धारणाएँ, सौंदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाषा – **बुढ़ादेव, आदिवासी जीवन शैली**

(दो) गृह – **कच्चा एक पक्का मकन**

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान – **रंगमंच भवन**

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल – **04 (देवगुड़ी)**

(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि) – **03**

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि) – **05**

(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा। – **निरंक**

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात –

(क) रोजगार के स्तर और प्राकर – **मजदूरी**

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके –

(ग) आय के स्तर – **मध्यम**

(घ) खाद्य सुरक्षा – **01 उपलब्ध**

(ङ) जीवन निर्वाह का स्तर – **सामान्य**

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण – **हां**

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुँच – **हां**

2. भौतिक संसाधानों पर समाघात –

(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात – **हां**

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव – **नहीं**

3. निजी संपत्यिों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात –

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता – **हां**

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता – **हां**

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव – **नहीं**

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली – **हां**

(ङ) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघत – **हां**

4. स्वास्थ्य समाघत –

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात – **जांच समय पर होता है।**

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात – **जांच समय पर होता है।**

5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात –

(क) स्थानीय राजनीति संरचना का रूपान्तरण – **राजनीतिक दल के विधायक है।**

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन – **हो रहा है।**

(ग) आर्थिक, पारिस्थितिकी संतुलन मे परिवर्तन – **नहीं**

(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात – **सही है।**

(ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप – **नही**

(च) विस्थापन का तनाव – **नही**

(छ) संयुक्त परिवारों के विखण्ड का समाघात – **नही**

6. चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात –

(क) पूर्व – सन्निर्माण चरण – **कोई समस्या नही है।**

(ख) संन्निर्माण चरण – **कोई समस्या नही है।**

(ग) प्रवर्तन चरण – **परिवर्तन मार्ग का प्रवधान है।**

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण – **आवश्यक नही**

(ङ) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात – **नहीं**

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हाकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

नायब तहसीलदार
बड़ेराजपुर (विश्रामपुरी)

सरपंच
ग्राम पंचायत उमरादाह
वि.ख.–केशकाल

उप सरपंच
ग्राम पचायत उमरादाह

प्ररूप – चार

(नियम 23 (9) देखिये)

समाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघत प्रबंधन योजना हेतु

विषय – वस्तु की सारणी

अध्याय	विषय – वस्तु	
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजना	होनहेड़ से मातेंगा मार्ग निर्माण कार्य
	(ख) स्थान	होनहेड़ से मातेंगा मार्ग
	(ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता	3.2124 हेक्टेयर
	(घ) अनुकल्पों पर विचार	किया गया कोई बेहतर विकल्प नही
	(ङ) सामाजिक समाघात	लाभ की तुलना में ना के बराबर
	(च) कमी करने के उपाय	स्माघात प्रति पूर्ति के लिए व्यय
	(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण	मार्ग निर्माण से शिक्षा व्यापार एवं कृषि में वृद्धि
परियोजना के विवरण का ब्यौरा	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित	
	(ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीवद्ध मानदण्डों सहित	मार्ग से आवागमन सुविधा व्यापार कृषि के स्तर में वृद्धि होगी
	(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत, जोखिम का ब्यौरा	जेखिम नही
	(घ) अनुकल्पों की परीक्षा	अन्य कोई बेहतर विकल्प नही
	(ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएँ	मार्ग निर्माणाधीन है।
	(च) मूल डिजाइन की विशिष्टयॉ और सुविधाओं का आकार और प्राकर	निरंक
	(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता	नहीं
	(ज) कार्यबल अपेक्षाएँ (अस्थाई और स्थाई)	आवश्यक नही
	(झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है, और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट	नहीं
	(ञ) लागू किए गए विधान और नीतियॉ।	सामाजिक समाघात निर्धारण नियम 2016
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहिता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित	पृथक से संलग्न
	(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिए प्रयोग मे आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन	स्थल निरीक्षण स्थानीय पूछताछ एवं जनसुनवाई द्वारा
	(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग	नही किया गया है।
	(घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतो के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों मे सम्मिलित करे।)	आवश्यक नही है।

	(ङ) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवादयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट मे रखकर प्ररूपों मे सम्मिलित किया जाना चाहिये।)	प्रारूप दो में सहमती संलग्न है।
भूमि अवधारण	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतो – नक्शें की सहायता से वर्णन करें।	पृथक से संलग्न है।
	(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नही है।)	स्थल निरीक्षण स्थानीय पूछताछ एवंज न सुनवाई द्वारा
	(ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि	3.2124 हेक्टेयर
	(घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास है, का उपयोग	सार्वजनिक निस्तार हेतु
	(ङ) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशयित उपयोग	निरंक
	(च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान	उमरादाह –0.8835
	(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो, तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम	असिंचित
	(ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि उवितरण और आवासीय सदनों की संख्या	0.8835 हेक्टेयर भूमि स्वामी हक में धारित आवासीय सदस्य संख्या निरंक
	(झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व मे नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग।	कृषि प्रयोजनार्थ
प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहॉ अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है – (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है)	16
	(एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है	नहीं
	(दो) अनुसूचित अजजातियॉ और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है	नहीं
	(तीन) सामान्य भूमि स्रोतो पर आश्रित , जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी	नहीं
	(चार) समुचित सरकार द्वारा उपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है	नहीं
	(पांच) भूमि अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से तीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है	नहीं
	(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यख रूप से प्रभावित नही है)	नहीं

	(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका	नहीं
सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जन सांख्यिकी ब्यौरा	
	(ख) आय एवं गरीबी स्तर	
	(ग) दुर्बल समूह	नहीं
	(घ) भूमि उपयोग और जीविका	कृषि एक कृषि मजदूरी
	(ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप	वनोपज संग्रहण
	(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है	भूमि एवं वन उत्पाद
	(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन	जनजातिय एवं पारिवारिक व्यवस्था
	(ज) प्रशासनिक संगठन	छ0ग0 शासन
	(झ) राजनैतिक संगठन	ग्राम पंचायत
	(ञ) समुदाय – आधारित और सविलि सोसाइटी संगठन	जाति सामाजिक संगठन
	(ट) क्षेत्रीय सक्रियता और एंतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ	निरंक
	(ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता	अच्छी
सामाजिक समाघात	(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढॉचा और दृष्टिकोण।	कोई नहीं
	(ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचन के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गो पर भेददर्शक समाघात और जहॉ लागू हो–आकलित समाघत।	कोई नहीं
	(ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची मे सम्मिलित है भूमि, तीविका और आय, भोतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।	कोई नहीं
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न–विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएँ, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहाफ तक, जहॉ शमन के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान के बारे मे अंतिम निष्कर्ष।	प्रस्तावित अर्जन लोक हित में है भू–अर्जन से क्षति न्यूनतम होगी मार्ग से आवागमन सुविधा शिक्षा कृषि व्यापार का स्तर बढ़ेगा।
	(ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत क अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नही, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।	अतः अर्जन किया जाना चाहिए
निर्देश एवं प्ररूप	निर्देश और आगे सूचना हेतु	

नायब तहसीलदार (विश्रामपुरी)

सरपंच ग्राम पंचायत उमरादाह वि.ख.–केशकाल

उप सरपंच ग्राम पंचायत उमरादाह

प्ररूप – पांच

1. शासन से भू–अर्जन हेतु का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, सामाजिक समाघात इकाई द्वारा यथाषीघ्र संदर्भ के निर्बधन (टीओआर) तैयार किये जायेगें, जिसमें सामाजिक समाघात निर्धारण के बजट का समावेष होगा।

2. संदर्भ के निर्बधन (टीओआर) में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी –

   (क) परियोजना का संक्षिपत विवरण

   (ख) परियोजना हेतु अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार

   (ग) सामाजिक़ समाघात निर्धारण के उद्देष्य तथा वे सभी गतिविधियां, जिनका क्रियान्वयन सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा किया जावेगा।

   (घ) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु क्रमबद्ध, अनुसूची एवं समय सीमा में सौंपने की तिथियां।

   (ङ) ग्राम सभा एवं/ या भूमि स्वामी की सहमति की अपेक्षित आवष्यकता।

   (च) सामाजिक समाघात निर्धारण दल का समुचित आकार तथा प्रोफाईल।

   (छ) संदर्भ के निर्बधन (टीओआर) के आधार पर परियोजना विनिर्दिष्ट बजट सहित प्रत्येक मद या गतिविधि हेतु व्ययों की पृथक–पृथक जानकारी।

   (ज) सामाजिक समाघात निर्धारण दल की निधि का भुगतान किये जाने हेतु अनुसूची।

3. सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु षुल्क, समय–समय पर पुनरीक्षित एवं परिवर्तनीय होगा।

नायब तहसीलदार
बड़ेराजपुर (विश्रामपुरी)

उप सरपंच
ग्राम पचायत उमरादाह